

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A Central University established by an Act of Parliament No.35 of 1989)

मुख्यालय : लुमामी | Headquarters : Lumami

कर्मचारी पहचान-पत्र प्रपत्र

	Employee Code (To be entered by Office) कर्मचारी कोड (कार्यालय द्वारा भरा जाए)	: NU
2.		ffice) : NU
	Title (Tick the appropriate one) नाम शीर्ष (उपयुक्त पर निशान लगाएँ)	: Prof. /Dr. /Er /Mr. /Mrs. /Ms. / Other if any प्रो. / डॉ. / इंजि / श्री / श्रीमती / सुश्री / अन्य यदि कोई
	Name of the Employee as entered in the Service Book (In Block Letters) कर्मचारी का नाम जैसा कि सेवा पुस्तिका में दर्ज है	:
5.	Present Designation वर्तमान पदनाम	:
	Name of the Department (For Teachers Only) विभाग का नाम (केवल शिक्षकों के लिए)	:
	Father's/Husband's Name पिता/पति का नाम	·
	Date of Birth जन्म-तिथि	÷
	Blood Group रक्त समूह Identification Mark	:
	पहचान चिन्ह Present Address	:
	वर्तमान पता	:
	Permanent Address स्थायी पता	:
	Telephone / Contact Number दूरभाष / संपर्क संख्या	·
		(Signature of the Applicant inside the box without touching the sides using black marker pen only) दिए गए बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर
(Signature of Controlling Officer with Seal) नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)		(Verified by Establishment Section, NU, Lumami, Signature with Seal) (स्थापना अनुभाग, एनयू, लुमामी द्वारा सत्यापित, मुहर के साथ हस्ताक्षर)

INSTRUCTIONS / निर्देश

- 1. Employees are requested to provide 1 (one) latest colour passport size photograph. (Either hardcopy or soft copy) at the time of submitting the form.
- (क). कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 1 (एक) नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (या तो हार्डकॉपी या सॉफ्ट कॉपी) फॉर्म जमा करते समय संलग्न
- The following rates shall apply, to be paid through NU Challan:
- (a) First time: ₹ 20/- (b) Second time on account of loss/damage: ₹50/- (c) Third time & above on account of loss/damage: ₹ 100/-(ख). नागालैण्ड विश्वविद्यालय चालान के माध्यम से भुगतान की जाने वाली निम्नलिखित दरें लागू होंगी:
- (अ) पहली बार: ₹20/- (ब) नुकसान/क्षति के कारण दूसरी बार: ₹50/- (स) तीसरी बार और अधिक नुकसान/क्षति के कारण: ₹100/-
- Damaged card(s) should be surrendered for subsequent issue. / (ग). क्षितिग्रस्त पहचान-पत्रों को आगे की कारवाई हेतु सरेंडर किया जाए।